राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 698/2009/अजमेर.

मैसर्स प्रभात यार्न ट्रेडर्स, किशनगढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 06/99–00/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.03.99 से आरोपित शास्ति रूपये 69,361/– की पुष्टि की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातीत माल के लिये परिवहन के समय अनिवार्य घोषणा पत्र एस.टी.18ए पूर्णतया भरा हुआ नहीं पाया गया ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(2) का उल्लंघन मानकर धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की जाने पर वह स्वीकार की गयी थी एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी आदेश दिनांक 08.07.2003 से उसकी पुष्टि की गयी, परन्तु कर बोर्ड के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन नं0 555/2003 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, तब अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः इस प्रकरण में दिनांक 25.2.2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी अपील संख्या 5197/2005 निर्णय दिनांक 03.08.2007** के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण घोषणा पत्रों पर शास्ति के आरोपण को विधिसम्मत ठहराते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित शास्ति की पुष्टि की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2